

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2501]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 9, 2014/अग्रहायण 18, 1936

No. 2501]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 9, 2014/AGRAHAYANA 18, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली 9 दिसम्बर, 2014

का.आ. 3098(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3718(अ), तारीख 18 दिसम्बर, 2013, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य के गुंटूर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 के 380.600 कि.मी. से 432.650 कि.मी. (चिल्कालुरीपेट—विजयवाड़ा सेक्शन) तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 1 फरवरी, 2014 को "साक्षी" और "हिन्दू" दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य के गुंटूर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 के 380.600 कि.मी. से 432.650 कि.मी. तक (चिल्कालुरीपेट—विजयवाड़ा सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

क्रम संख्या	जिले का नाम	तलूक / मण्डल का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण / प्लॉट संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (वर्ग मिटर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्ति का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	गुंटूर	1. प्रतिपाडु	(1) नाडिपालेम	129/3ए1	निजी	शुष्क	404	ए. कोप्पुल्लुरी मल्लिकार्जुन राव बि. परुल्लुरि सुनिल कृष्णा पुत्र. माधव राव
				131/1ए2	निजी	शुष्क	121	पोथुरु प्रसाद राव
				155/1 बि2 बि1	निजी	शुष्क	41	रहमान खान टोबाको
				309/3डी	निजी	शुष्क	283	बालाजि स्टोन क्रपर्स
			(2) यनमदला	778/1 बि2	निजी	शुष्क	162	ए. जयराम बाबु पेट्रोल बंक बि. तातिकोन्दा बाबुजि सि. पिदिकिटी दुर्गा प्रसाद
				778/3ए4 बि1 बि	निजी	शुष्क	40	बोम्मिडाला नारायण मूर्ति
				778/3 बि1 ए	निजी	शुष्क	121	1. गोविन्दराजू चिदम्बरेस्वर शर्मा 2. गोविन्दराजू मुरलिधर राव
				778/3 बि2 बि1 बि	निजी	शुष्क	41	1. गोविन्दराजू चिदम्बरेस्वर शर्मा 2. गोविन्दराजू मुरलिधर राव
		2. गुंटूर	(1) चौडवरम	93-3 बि2 ए	निजी	शुष्क	162	केसव नागेस्वारा राव
				143/1 ए	निजी	शुष्क	527	उमा देविकम्पनी
			(2) पोतूरु	393/1 ए1 बि	निजी	शुष्क	81	कोडेला सत्यकला पद्मी सिव प्रसाद
			(3) अन्किरेडुडिपालेम	558-1 ए	निजी	शुष्क	526	वन दुर्गा कोल्ड स्टोरज
				1056/ए-1 ए	निजी	शुष्क	1008	कुंचाल पोलयया
			(4) रामचंद्रापुरमअग्र हारम	41-1 ए	निजी	शुष्क	67	बाँदारु साम्बसिव राव
			(5) गुंटूर	577-3 ए	निजी	शुष्क	100	1. जलदि ब्राह्म्या 2. उम्मा रेड्डी मीसूरा रेड्डी
				918-3 बि	निजी	शुष्क	81	चावा वेंकटेश्वर राव
				1220/3 ए	निजी	शुष्क	243	चुक्कापल्लि कमेस्वारा राव
		3. पेदाकाकानी	1. तकेल्लपाडु	18/1 ए	निजी	शुष्क	33	अथोटा मल्लेस्वारा राव
			2. अगतवरप्पाडु	190/3 ए1 बि2	निजी	शुष्क	568	बोएन्दला मधु बाबु
				196-सि2 ए2	निजी	शुष्क	393	अप्पसानि उमा महेस्वर राव पुत्र सिवयया
			(3) पेदाकाकानि	637-2 ए	निजी	शुष्क	533	मेडा वेंकटेश्वरलू पुत्र कोटयया
				750/1 बि	निजी	शुष्क	60	शैक मिया
				754/1 बि2 बि	निजी	शुष्क	80	गरिकमुक्कू जोसेफ कुमार गरिकमुक्कू आनंद कुमार
				903/1 बि	निजी	शुष्क	50	आमरनेनि अनजनेयुलु
			4. मांगलगिरि	(1) काजा	101/2 बि2	निजी	224	गुतिकोंडा वीरभद्र राव पुत्र वेंकट रमय्या

2. मंगलगिरि	53/बि1बि	निजी	शुष्क	81	चलसानि रविबाबु
	53/डी1बि	निजी	शुष्क	364	चलसानि रविबाबु
	53/इ1बि	निजी	शुष्क	708	चलसानि रविबाबु
	52/बि1बि	निजी	शुष्क	243	चलसानि रविबाबु
3. आत्मकूरु	388/1	निजी	शुष्क	40	लिंगमनेनि पूर्ण भास्कर राव

[फा. सं. एनएचआई/15021/6-लेन/बिऔदी/2013/पीआईयू-विजयवाड़ा]

वी. कृष्णास्वामी, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th December, 2014

S.O. 3098(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 3718(E) dated 18-12-2013 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (Widening/six-laning, etc.), maintenance management and operation of National Highway No. 5 on the stretch of land from Km. 380.600 to Km. 432.650 (Chilakaluripet-Vijayawada section) in the District Guntur in the state of Andhra Pradesh.

And whereas the substance of the said notification has been published in “Sakshi” and “Hindu” both dated 01-02-2014 under sub-section (3) of section 3A of the said Act.

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority.

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Competent authority has submitted its report to the central Government.

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE								
Brief Description of the land to be acquired with or without structure, falling within the stretch of land Km.380.600 to Km.432.650 (Chilakaluripet-Vijayawada Section) on the National Highway No-5 in the state of Andhra Pradesh								
Sl No.	Name of district	Name of taluk / mandal	Name of the village	Survey No. (Plot No.)	Type of land	Nature of land	Area in sqm	Name of the land owner/ Interested persons
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Guntur	(1) Prathipadu	(1) Nadimpalem	129/3A1	Private	Dry	404	(A)Koppuravuri Mallikarjuna Rao (B) Paruchuri Sunil Krishna S/o Madhava Rao
				131/1A2	Private	Dry	121	Pothuru Prasada Rao
				155/1B2B1	Private	Dry	41	Rahman Khan Tobacco
				309/3D	Private	Dry	283	Balaji Stone Cruchers

			2) Yanamadala	778/1B2	Private	Dry	162	(A) Jayaram Babu Petrol Bunk (B) Tatikonda Babuji (C) Pidikiti Durga Prasad
				778/3A4B1B	Private	Dry	40	Bommidala Narayana Murthy
				778/3B1A	Private	Dry	121	(1) Govindaraju Chidambareswara Sarma (2) Govindaraju Muralidhar Rao
				778/3B2B1B	Private	Dry	41	(1) Govindaraju Chidambareswara Sarma (2) Govindaraju Muralidhar Rao
		(2) Guntur	(1) Chowdavaram	93-3B2A	Private	Dry	162	Kesava Nageswara Rao
				143/1A	Private	Dry	527	Umadevi compeny
			(2) Pothuru	393/1A1B	Private	Dry	81	Kodela Satyakala W/o Siva Prasad
			(3) Ankireddipalem	558-1A	Private	Dry	526	Vana Durga Codstorage
				1056/A-1A	Private	Dry	1008	Kunchala Polaiah
			(4) Ramachandra Puramagraharam	41-1A	Private	Dry	67	Bandaru Sambasiva Rao
			(5) Guntur	577-3A	Private	Dry	100	(1) Jaladi Brahmaiah (2) Ummareddy Mysoor Reddy
				918-3B	Private	Dry	81	Chava Venkateswara Rao
				1220/3A	Private	Dry	243	Chukkapalli Kameswara Rao
		(3) Peddakakani	(1) Takkellapadu	18/1A	Private	Dry	33	Athota Malleswara Rao
			(2) Agathavarappadu	190/3A1B2	Private	Dry	568	Boyendla Madhubabu
				196-C2A2	Private	Dry	393	Appasani Uma Maheswara Rao S/o Sivaiah
			(3) Peddakakani	637-2A	Private	Dry	533	Meda Venkateswarlu S/o Kotaiah
				750/1B	Private	Dry	60	Shaik Miya
				754/1B2B	Private	Dry	80	Garikamukku Joseph Kumar Garikamukku Anand Kumar
				903/1B	Private	Dry	50	Amaraneni Anjaneyulu
		(4) Mangalagiri	(1) Kaza	101/2B2	Private	Dry	224	Guthikonda Veerabhadra Rao S/o Venkata R amaiah
				(2) Mangalagiri	53/B1B	Private	Dry	81
			53/D1B		Private	Dry	364	Chalasani Ravi Babu
			53/E1B		Private	Dry	708	Chalasani Ravi Babu
			52/B1B		Private	Dry	243	Chalasani Ravi Babu
			(3) Atmakuru	388/1	Private	Dry	40	Lingamaneni Purna Bhaskara Rao

[F. No. NHAI/15021/6-LANE/BOT/2013/PIU-Vijayawada]

V. KRISHNASWAMY, Director